न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1742–एक / 13 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–2–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक अपील 73 / अ–67 / 12–13.

आर. के. राय आ0 श्री बेनीप्रसाद राय
निवासी कामथ वार्ड गोटेगांव तहसील गोटेगांव
जिला नरसिंहपुर म.प्र. ----- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ----- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र मिश्रा ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 2–9 –2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक अपील 73 / अ–67 / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 23–2–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के विरूद्ध नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा हल्का पटवारी के साथ दिनांक 13–1–12 को संयुक्त रूप से ग्राम जमुनिया स्थित भूमि सर्वे नं. 162, 163 एवं 164 का मौका निरीक्षण कर स्थल जांच बाद पंचनामा तैयार किया जिसमें लेख किया गया कि आवेदक द्वारा मौके पर सर्वे नं. 163 एवं 164 से मुरम खदान की खुदाई गई है । उक्त पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 6–3–12 को उपयंत्री, आर.ई.एस. से स्थल जांच बाद प्रतिवेदन लिया गया । प्रतिवेदन में उप यंत्री द्वारा उल्लखित किया कि आवेदक द्वारा उक्त वर्णित स्थल की कुल 2820 घनमीटर मुरम का उत्खनन किया है, जिसका बाजार मूल्य 2,29,548 रूपये है । अनुविभागीय अधिकारी

28/815

द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक को संहिता की धारा 247 (7) के तहत दिनांक 11–4–12 को आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी कर, जबाव प्राप्त किया गया एवं आवेदक की सुनवाई कर बाजार मूल्य का चार गुना रूपये 9,18,180/– के अर्थदंड से दंडित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील की जो अपर आयुक्त ने आलाच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक लो.नि.वि. का विहीत अनुज्ञप्तिधारी ठेकेदार होते हुए उसके द्वारा पिपरिया नोन से सिरकोना बेदू मार्ग का निर्माण लो.नि.वि. नरसिंहपुर के कार्य आदेश क्रमांक 730 दिनांक 18–3–11 के द्वारा प्राप्त कर कार्य संपादित कराया है, इस बिंदु पर विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय को विचार करना था, किंतु उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक के विरूद्ध तहसीलदार गोटेगांव, रा.नि.मं. बरहटा द्वारा दिनांक 13–11–12 को अवैध उत्खनन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 6–3–12 को आर.ई.एस. के उपयंत्री द्वारा स्थल जांच प्रतिवेदन में कुल 2820 घनमीटर मुरम का उत्खनन किये जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है किंतु उक्त प्रतिवेदन पूरी तरह विहीत पुष्टि व प्रमाणिकताओं से परे हैं क्योंकि इन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो स्वतंत्र साक्षी के कथन लिए गए और ना ही अभियोजक द्वारा कोई भौतिक साक्ष्य संग्रह किए गए । पटवारी जैसे महत्वपूर्ण साक्षी का कथन नहीं कराया गया, मात्र एक गवाह के साक्ष्य संग्रह कर अनुचित तरीके से आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अर्थदंड आरोपित किया गया है जो निरस्ती योग्य है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 247 (7) के तहत उत्खनन के प्रकरणों में प्रमाण भार शासन पर है और शासन को शासन को शंका से परे प्रकरण साक्ष्य से सिद्व करना चाहिए । मौजूदा प्रकरण में शासन द्वारा प्रकरण साक्ष्य से सिद्व नहीं किया गया है । अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा की गई विधि व प्रकियाओं के विरूद्ध कार्यवाहियों का अवलोकन कर अपना निर्णय देना चाहिए था किंतु उनके द्वारा भी न्यायिक तरीके से प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया

यह तर्क दिया गया कि संबंधित मार्ग के कार्यों का संचालन एवं कार्य हेतु मुरूम की पूर्ति रानी अवंतीबाई नहर परियोजना के कार्यपालन यंत्री डिस्नेट डिवीजन नरसिंहपुर के द्वारा रसीद क्रं. 6 दिनांक 10.1.12 को 1000 घन मीटर रूपये 32,400/– की रायल्टी, रसीद क्रमांक 10 दिनांक 13–1–12 को 1000 घन मीटर की रॉयल्टी रूपये 32,400/– एवं रसीद क्रमांक 22 दिनांक 2–7–12 को 250 घन मीटर की रॉयल्टी रूपये 8100/– जमा की गई है इसी प्रकार खनिज विभाग कलेक्टर, नरसिंहपुर द्वारा पृथक–2 सर्वे नं. 1/2 रकबा 1.000 हैक्टर एवं सर्वे नं. 50/1 रकबा 0.600 हैक्टर की रॉयल्टी क्रमशः 54,000/– एवं 54,000/– रूपये अग्रिम रॉयल्टी जमा करने के आधार पर स्वीकृत मात्रा 2000 घनमीटर + 2000 घनमीटर का वैधानिक गौण खनिज उत्खनन हेतु अस्थाई अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर मुरूम का उपयोग किया गया है । जिनसे संबंधित तमाम रसीद एवं अनुज्ञापत्र भी बतौर साक्ष्य आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किये गये थे जिस पर न तो विचारण न्यायालय ने और ना ही अपीलीय न्यायालय ने गौर किया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अभियोजक द्वारा दिनांक 13–1–12 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार जो कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया था उसका जबाव आवेदक द्वारा पेश किया गया किंतु जबाव में कही गई बातों का न तो अंतरिम आदेश पत्रिका में उल्लेख किया गया और न ही पारित परिवेदित आदेश में विचारण में लिया गया । दिनांक 9–8–12 को समय 12.40 बजे पृथक से आवेदक द्वारा जबाव पेश किया गया जिसका भी आदेश पत्रिका में कहीं हवाला नहीं दिया, बल्कि इसके विरूद्ध दिनांक 9–8–12 को ही आवेदक के विरूद्ध उपस्थिती के बाद एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई, जिसे कहीं भी अपास्त नहीं किया गया, और इसके बाद भी आवेदक लगातार प्रकरण में उपस्थित होता रहा । आवेदक ने साक्ष्य पेश करने का समय भी चाहा गया जो नहीं दिया गया । इसी तरह अगली पेशी दिनांक 30.8.12 को पुनः आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए ठीक दूसरे दिनांक 31.8.12 को परिवेदित आदेश पारित कर दिया गया । आवेदक जब दिनांक 30.8.12 को न्यायालय में जिस समय उपस्थित हुआ तब उसे एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी दी गई दूसरे दिन आवेदक द्वारा आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. के आवेदन के साथ एकपक्षीय कार्यवाही के अपास्त कराने की अर्जी दी तब उसे जानकारी दी गई कि उसके विरूद्ध प्रकरण में आदेश पाति हो चुका है ।

यह तर्क दिया गया कि प्रकरण में सुरेन्द्र सिंह नाम के व्यक्ति की शिकायत पर कार्यवाही होना बताया गया है जबकि संबंधित शिकायत रिकार्ड में कब कहांस से आई इसका उल्लेख नहीं है और ना ही शिकायतकर्ता के कोई कथन कराए गए । यह भी कहा गया कि शासन पक्ष से आहूत साक्ष्य सबूत व कथन आपस में विरोधाभाषी हैं । विचारण न्यायालय ने परिवेदित आदेश दिनांक 31.8.12 में भूमि सर्वे नं. 1263 रकबा 0.951 हैक्टर ओंकार सिंह और सुजान सिंह की होना बताया है जबकि उक्त भूमि रानी अबंतीबाई नहर परियोजना हेतु अधिग्रहीत की जा चुकी थी, जो नहर से लगी हुई थी, जिसकी मुरम के लिए निगरानीकर्ता ने विधिवत रॉयल्टी अदा कर स्वीकृति प्राप्त की है इसकी पुष्टि स्वतः हल्का पटवारी के प्रतिवेदन से प्रमाणित है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ना तो विचारण न्यायालय ने और न ही अपीलीय न्यायालय ने गौर किया इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य हैं । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत 2005 आर.एन. 107, 1976 आर.एन. 453, 97 आर. एन. 174, 89 आर.एन. 579, 1996 आर.एन. 365 एवं अन्य का उल्लेख करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है किंतु पटवारी की कोई साक्ष्य नहीं ली गई है और ना ही पंचनामे दिनांक 13–1–12 में जो साक्षी नायब तहसीलदार आदि हैं उनके कथन लिए गए हैं अभिलेख में राजस्व निरीक्षक प्रभुधन टेम्पुले के कथन संलग्न हैं किंतु उनके प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर आवेदक को दिया जाना अभिलेख से नहीं पाया जाता है । प्रकरण में शिकायतकर्ता सुरेन्द्र सिंह के साक्ष्य भी कराया जाना आवश्यक था जिनके साक्ष्य नहीं कराये गये हैं । इस प्रकार इस प्रकरण में विचारण न्यायालय की जो कार्यवाही है वह प्रारंभ से ही अवैध है । विचारण न्यायालय की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 9–8–12 को आवेदक के उपस्थित होने के उपरांत भी उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी । प्रकरण में अभियोजन पक्ष की साक्ष्य के समापन की घोषणा हुए बिना ही अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित किया है । इस

प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया के अनुरूप नहीं माना जा सकता । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा कारण बताओ सूचनापत्र के जबाव में दिए गए वैधानिक बिंदुओं पर भी कोई विचार नहीं किया गया है । यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि उत्खनन के प्रकरणों में प्रमाण भार शासन पर होता है और प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज एवं उनके प्रमाणित होने पर ही उत्खनन प्रकरण की पुष्टि होती है जबकि इस प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों को न तो समुचित रूप से प्रदर्शित किया गया और ना ही उनका प्रमाणीकरण किया गया है, ऐसी दशा में अभियोजन पक्ष प्रकरण को साबित कर पाने में असफल रहे है । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उत्खनन के प्रकरणों में प्रमाण भार शासन पर होता है और प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज एवं उनके प्रमाणित होने पर ही उत्खनन प्रकरण की पुष्टि होती है जबकि इस प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों को न तो समुचित रूप से प्रदर्शित किया गया और ना ही उनका प्रमाणीकरण किया गया है, ऐसी दशा में अभियोजन पक्ष प्रकरण को साबित कर पाने में असफल रहे है । न्यायदृष्टांत 2005 आर. एन. 107 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 247 (7) – सबूत का भार सरकार पर – खनन निरीक्षक की साधारण रिर्पोट – उसकी परीक्षा किए जाने और प्रतिपरीक्षण का अवसर दिए जाने के अभाव में पर्याप्त नहीं – साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए । न्यायदृष्टांत 1976 आर.एन. 453 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 237 (7) अवैध उत्खनन किए जाने के संबंध में समुचित प्रमाण दिया जाना आवश्यक है और प्रमाण भार राज्य पर है । उसके द्वारा ही सिद्ध किया जाना होता है कि खनिज संपदा का अनुचित दोहन अथवा अवैध उत्खनन किया गया है । न्यायदृष्टांत 97 आर. एन. 174 में यह व्यवथा दी गई है कि धारा – 247(7) खानों से अवैध उत्खनन का मामला – सरकार द्वारा पूर्णतः साबित किया जाना होता है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 89 आर.एन. 579 में भी यह न्यायिक व्यवस्था दी गई है कि धारा 247– के तहत खनिज निरीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर जांच की जाती है तो उसे साबित करने का भार शासन पर होता है । न्यायदृष्टांत 1996 आर.एन. 365 में यह व्यवस्था दी गई है कि धारा 247 – खनिज अवैध रूप से निकालना – उपबंध दांडिक प्रकृति का है युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए –

मामला साबित नहीं जुर्माना नहीं लगाया जा सकता । उक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण हैं ।

6/ अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि जिस उप यंत्री, जनपद पंचायत गोटेगांव के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया है उस प्रतिवेदन को उप यंत्री द्वारा साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है । उक्त प्रतिवेदन किस आधार पर दिया गया है इसके संबंध में कोई दस्तावेज प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं है । अतः इस प्रकरण में उप यंत्री का जो प्रतिवेदन है उसका विधान में साक्षिक मूल्य कुछ नहीं है है । न्यायदृष्टांत 1990 आर.एन. 162 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – धारा 247 – खदान निरीक्षक का प्रतिवेदन एक शिकायत है और उसका कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है – ऐसे प्रतिवेदन के आधार पर आदेश दिया जाना विधि विरूद्ध है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1988 आर.एन. 312 में यह व्यवस्था दी गई है कि – धारा 247 (7) गिट्टी या पत्थर का अवैध उत्खनन कार्य किया जाना साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया । शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती ।

7/ अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा पिपरिया नोन सिरकोना बेदू मार्ग के निर्माण हेतु मुरूम की आपूर्ति करने के लिए रानी अवंतीबाई नहर परियोजना के कार्यपालन यंत्री डिस्नेट डिवीजन नरसिंहपुर के यहां रसीद कं. 6 दिनांक 10.1.12 को 1000 घन मीटर की रॉयल्टी रूपये 32,400/–, रसीद कमांक 10 दिनांक 13–1–12 को 1000 घन मीटर की रॉयल्टी रूपये 32,400/– एवं रसीद कमांक 22 दिनांक 2–7–12 को 250 घन मीटर की रॉयल्टी रूपये 8100/– जमा कराई गई है इसके अतिरिक्त खनिज विभाग कलेक्टर, नरसिंहपुर द्वारा पृथक–2 सर्वे नं. 1/2 रकबा 1.000 हैक्टर एवं सर्वे नं. 50/1 रकबा 0.600 हैक्टर की रॉयल्टी कमशः 54,000/– एवं 54,000/– रूपये अग्रिम रॉयल्टी जमा करने के आधार पर स्वीकृत मात्रा 2000 घनमीटर + 2000 घनमीटर की वैधानिक गौण खनिज उत्खनन हेतु अस्थाई अनुज्ञा पत्र मुरूम का उपयोग किए जाने हेतु जारी किया गया है, किंतु इन दस्तावेजों पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया और विधि विरूद्ध तरीके से एकपक्षीय आदेश आवेदक के विरूद्ध पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त बिंदुओं को अनदेखा कर अनुविभागीय

अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है इस कारण उनका आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—8—12 एवं अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23—2—13 विधिसम्मत व विहित प्रकिया के अनुकम में न होने से निरस्त किए जाते हैं एवं आवेदक के विरूद्ध प्रारंभ किया गया उत्खनन का प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर